

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा


क्रमांक/रीडर/2024/35/2024
निमित्त-

दिनांक- 13/05/2024

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 35/2024 अनवान प्रदीप सिंह पिता कँवर सिंह मीणा निवासी लुहारीकला बनाम तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला आराजी सं. 4517./10,5394/4517 कुल किता 02 रकबा 1.9424 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अज अचालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

अनवान प्रवीप सिंह पिता कँवर सिंह मीणा निवासी लुहारीकला

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर

मुकदमा नंबर 35/24

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुई
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला आराजी सं. 4517/10,5394/4517 कुल कित्ता 02 रकबा 1.9424 हैक्टेयर भूमि रिथत है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला आराजी सं. 4517/10,5394/4517 कुल कित्ता 02 रकबा 1.9424 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारी कला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 4000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा